

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र नारायण
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता
सभी कार्यपालक अभियंता
भवन निर्माण विभाग, पटना।

पटना, दिनांक:-.....9.1.19

विषय:- वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु स्थानीय स्तर पर किये जाने वाले उपायों के संबंध में

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय से संबोधित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पटना द्वारा प्रेषित पत्र (पत्रांक-1370 दिनांक-19.12.18 के आलोक में भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्माण किए जा रहे भवन के क्रम में निम्न निदेश का पालन तत्परता पूर्वक कराना सुनिश्चित किया जाय।

- निर्माण क्रियाकलाप से जुड़े सभी एजेन्सी/संस्था निर्माण स्थल को ढककर कार्य करें। इसका उल्लंघन करने वाले एजेन्सी/संवेदक को चिन्हित कर नगर निकाय द्वारा उनके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक प्रावधानों के तहत त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।
- निर्माण सम्रागी यथा-बालू, गिट्टी, मिट्टी का परिवहन ढक कर किया जाए तथा इनका आम सड़कों पर भंडारण नहीं किया गया। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को भी आम-सड़क के किनारे भंडारित नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन

(उपेन्द्र नारायण)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

उपेन्द्र नारायण